**संख्या-07/2026/328/58-2-2026/1721074**

प्रेषक,

रजनी कांत पाण्डेय,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग लखनऊ दिनांक

विषय- वित्तीय वर्ष 2026-27 के लिए अनुदान संख्या-10 के अधीन प्राविधानित आय-व्ययक के सापेक्ष धनराशि रू0-41100.44 लाख को वमुक्त किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-03/बजट/2026-27, दिनांक 06.04.2026 का कृपया सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2- उक्त के संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि अनुदान संख्या-10 के अधीन खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत वित्तीय वर्ष 2026-27 हेतु आय-व्ययक में चालू योजनाओं में व्यवस्थित धनराशि रू0-41290.44 लाख वर्णित लेखाशीर्ष/मानकमद में उल्लिखित विवरण के अनुसार कुल धनराशि के सापेक्ष रू0-41100.44 लाख (रूपया चार अरब ग्यारह करोड़ चवालिस हजार मात्र) की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर निम्नालिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन रखे जाने की श्री राज्यपाल महोदया सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नंवत है :-

नियम व शर्ते/प्रतिबन्धों

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

2. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, खाद्य प्रसंस्कंरण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्तरदायी होंगे।

3. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्ड बुक के नियमों/ प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।

4. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

5. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।

http://shasanadesh.up.gov.in

6. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता माना जायेगी जिसके लिए निदेशक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त/नियंत्रक, खाद्य प्रसंस्करण विभाग उत्तर दायी होंगे।

3- इस संबंध में होने वाला व्यय

लेखाशीर्ष 2401001190401 (उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2022)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 12 कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 2 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 15 गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 10,00,000 ( रुपये दस लाख मात्र) |
| 3 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 18 प्रकाशन | 20,00,000 (रुपये बीस लाख मात्र) |
| 4 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 19 विज्ञापन, बिक्री और विख्यापन व्यय | 30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र) |
| 5 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 27 सब्सिडी | 2,98,00,00,000 (रुपये दो अरब अट्ठानबे करोड़ मात्र) |
| 6 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 42 अन्य व्यय | 40,00,000 (रुपये चालीस लाख मात्र) |
| 7 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 46 कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 30,00,000 (रुपये तीस लाख मात्र) |
| 8 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 47 कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 10,00,000 (रुपये दस लाख मात्र) |
| 9 | 010 | 2401001190401 उत्तर प्रदेश खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2022 - | 58 आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 50,00,000 (रुपये पचास लाख मात्र) |
| | कुल | | | 3,00,00,00,000 (रुपये तीन अरब मात्र) |

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2401001190402 (मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190402<br>मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना | 27<br>सब्सिडी | 2,85,00,000<br>( रुपये दो करोड़ पचासी लाख मात्र ) |
| 2 | 010 | 2401001190402<br>मुख्यमंत्री खाद्य प्रसंस्करण ग्राम स्वरोजगार योजना | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 2,77,00,000<br>( रुपये दो करोड़ सतहत्तर लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 5,62,00,000<br>(रुपये पाँच करोड़ बासठ लाख मात्र) |

लेखाशीर्ष: 2401001190408 (राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190408<br>राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 10,00,000<br>(रुपये दस लाख मात्र) |
| 2 | 010 | 2401001190408<br>राजकीय सामुदायिक फल संरक्षण केन्द्रों का विस्तार एवं सुदृढीकरण | 29<br>अनुरक्षण | 1,90,00,000<br>( रुपये एक करोड़ नब्बे लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 2,00,00,000<br>( रुपये दो करोड़ मात्र) |

लेखाशीर्ष: 240100119040 (खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 01<br>वेतन | 22,75,63,000<br>( रुपये बाईस करोड़ पचहत्तर लाख तिरेसठ हजार मात्र ) |
| 2 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 02<br>मजदूरी | 20,00,000<br>( रुपये बीस लाख मात्र ) |
| 3 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं | 03<br>मंहगाई भत्ता | 14,79,16,000<br>( रुपये चौदह करोड़ उनासी लाख |

https://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | विधायन की योजना | | सोलह हजार मात्र ) |
| 4 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 04<br>यात्रा व्यय | 15,00,000<br>( रुपये पन्द्रह लाख मात्र ) |
| 5 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 05<br>स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 6 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 06<br>अन्य भत्ते | 20,000<br>( रुपये बीस हजार मात्र ) |
| 7 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 08<br>कार्यालय व्यय | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 8 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 09<br>विद्युत देय | 25,00,000<br>( रुपये पच्चीस लाख मात्र ) |
| 9 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 10<br>जलकर / जल प्रभार | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |
| 10 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 11<br>लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 11 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 7,00,000<br>( रुपये सात लाख मात्र ) |
| 12 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 1,50,000<br>( रुपये एक लाख पचास हजार मात्र ) |
| 13 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 86,40,000<br>( रुपये छियासी लाख चालीस हजार मात्र ) |
| 14 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 15 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 38,00,000<br>( रुपये अड़तीस लाख मात्र) |
| 16 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 18<br>प्रकाशन | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 17 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 29<br>अनुरक्षण | 25,00,000<br>( रुपये पच्चीस लाख मात्र ) |
| 18 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 42<br>अन्य व्यय | 30,50,000<br>( रुपये तीस लाख पचास हजार मात्र ) |
| 19 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 43<br>सामग्री एवं सम्पूर्ति | 30,00,000<br>( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| 20 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 20,00,000<br>( रुपये बीस लाख मात्र ) |
| 21 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 45<br>अवकाश यात्रा व्यय | 1,40,000<br>( रुपये एक लाख चालीस हजार मात्र ) |
| 22 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 30,00,000<br>( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| 23 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 8,00,000<br>( रुपये आठ लाख मात्र ) |
| 24 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 49<br>चिकित्सा व्यय | 75,00,000<br>( रुपये पचहत्तर लाख मात्र ) |
| 25 | 010 | 2401001190409<br>खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | 55<br>मकान किराया भत्ता | 1,30,00,000<br>( रुपये एक करोड़ तीस लाख मात्र ) |
| 26 | 010 | 2401001190409 | 58 | 30,00,000 |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | खाद्य प्रसंकरण प्रशिक्षण एवं विधायन की योजना | आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान | ( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 43,73,79,000<br>( रुपये तैंतालीस करोड़ तिहत्तर लाख उनासी हजार मात्र ) |

लेखाशीर्ष) 2401001190418 :उ0प्र 0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति ( 2017 -

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190418<br>उ0प्र 0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 - | 27<br>सब्सिडी | 50,00,00,000<br>( रुपये पचास करोड़ मात्र ) |
| 2 | 010 | 2401001190418<br>उ0प्र 0खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति 2017 - | 58<br>आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 50,04,00,000<br>( रुपये पचास करोड़ चार लाख मात्र ) |

लेखाशीर्ष) 2401001190600 :प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन (

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | 09<br>विद्युत देय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 2 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 3 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष | 60,000<br>( रुपये साठ हजार मात्र ) |

http://upsanadesh.up.gov

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | सेवाओं के लिए भुगतान | |
| 4 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 5 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | 29<br>अनुरक्षण | 1,08,00,000<br>( रुपये एक करोड़ आठ लाख मात्र ) |
| 6 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | 42<br>अन्य व्यय | 1,80,00,000<br>( रुपये एक करोड़ अस्सी लाख मात्र ) |
| 7 | 010 | 2401001190600<br>प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजनान्तर्गत कॉमन इन्क्यूवेशन सेन्टर्स का संचालन | 58<br>आउट सोर्सिग सेवाओं हेतु भुगतान | 2,40,000<br>( रुपये दो लाख चालीस हजार मात्र ) |
| | कुल | | | 3,00,00,000<br>( रुपये तीन करोड़ मात्र ) |

लेखाशीर्ष: 2401008000300 (कुकरी एंव बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2401008000300<br>कुकरी एंव बेकरी प्रशिक्षण कार्यक्रम | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 1,33,00,000<br>( रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 1,33,00,000<br>( रुपये एक करोड़ तैंतीस लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov.in

लेखाशीर्ष: 2415800040500 (क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्वलेषण केन्द्र )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2415800040500<br>क्षेत्रीय खाद्य अनुसंधान एवं विश्वलेषण केन्द्र | 20<br>सहायता अनुदान - सामान्य (गैर वेतन) | 95,00,000<br>( रुपये पंचानबे लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 95,00,000<br>( रुपये पंचानबे लाख मात्र ) |

लेखाशीर्ष: 2415800040700 (राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान )

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 01<br>वेतन | 1,24,00,000<br>( रुपये एक करोड़ चौबीस लाख मात्र ) |
| 2 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 02<br>मजदूरी | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| 3 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 03<br>मंहगाई भत्ता | 80,60,000<br>( रुपये अस्सी लाख साठ हजार मात्र ) |
| 4 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 04<br>यात्रा व्यय | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 5 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 05<br>स्थानान्तरण यात्रा व्यय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 6 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 06<br>अन्य भत्ते | 5,000<br>( रुपये पाँच हजार मात्र ) |
| 7 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 07<br>मानदेय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 8 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं | 08<br>कार्यालय व्यय | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रोद्योगिकी संस्थान | | |
| 9 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 09<br>विद्युत देय | 20,00,000<br>( रुपये बीस लाख मात्र ) |
| 10 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 10<br>जलकर / जल प्रभार | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र ) |
| 11 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 11<br>लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 12 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 12<br>कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 13 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 13<br>टेलीफोन पर व्यय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 14 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 15<br>गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद | 3,00,000<br>( रुपये तीन लाख मात्र ) |
| 15 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 16<br>व्यावसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 16 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 17<br>किराया, उपशुल्क और कर-स्वामिस्व | 4,00,000<br>( रुपये चार लाख मात्र ) |
| 17 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 18<br>प्रकाशन | 2,00,000<br>( रुपये दो लाख मात्र ) |
| 18 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 29<br>अनुरक्षण | 40,00,000<br>( रुपये चालीस लाख मात्र ) |
| 19 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 42<br>अन्य व्यय | 7,00,000<br>( रुपये सात लाख मात्र ) |
| 20 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं | 43<br>सामग्री एवं सम्पूर्ति | 5,00,000<br>( रुपये पाँच लाख मात्र ) |

http://sinasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | | प्रोद्योगिकी संस्थान | | |
| 21 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 44<br>प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 22 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 45<br>अवकाश यात्रा व्यय | 1,00,000<br>( रुपये एक लाख मात्र ) |
| 23 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 46<br>कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय | 10,00,000<br>( रुपये दस लाख मात्र ) |
| 24 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 47<br>कम्प्यूटर अनुरक्षण/तत्सम्बन्धी स्टेशनरी का क्रय | 7,00,000<br>( रुपये सात लाख मात्र ) |
| 25 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 49<br>चिकित्सा व्यय | 15,00,000<br>( रुपये पन्द्रह लाख मात्र ) |
| 26 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 55<br>मकान किराया भत्ता | 15,00,000<br>( रुपये पन्द्रह लाख मात्र) |
| 27 | 010 | 2415800040700<br>राजकीय खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रोद्योगिकी संस्थान | 58<br>आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान | 30,00,000<br>( रुपये तीस लाख मात्र ) |
| | कुल | | | 4,18,65,000<br>( रुपये चार करोड़ अठारह लाख पैंसठ हजार मात्र ) |

लेखाशीर्ष: 4415808000401 (खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना)

| | अनुदान संख्या | लेखा शीर्षक | मानक मद | स्वीकृत धनराशि |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 010 | 4415808000401<br>खाद्य प्रसंस्करण एवं प्रौद्योगिकी संस्थान की योजना | 26<br>मशीनें और सज्जा/ उपकरण और संयंत्र | 14,00,000<br>( रुपये चौदह लाख मात्र ) |

http://shasanadesh.up.gov.in

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | कुल | | | 14,00,000<br>( रुपये चौदह लाख मात्र ) |
| महायोग | | | | 4,11,00,44,000<br>( रुपये चार अरब ग्यारह करोड़ चौवालीस हजार मात्र ) |

के नामे डाला जायेगा।

4- यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या-4/2026/बी-1-812/दस-2026-231/2026, दिनांक-28 मार्च, 2026 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

( रजनी कान्तल पाण्डेय )
संयुक्त सचिव।

**संख्या/07-2026328/(1)/58-2-2026, तद्दिनांक।**

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्कखरण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(4) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) गार्ड फाईल

आज्ञा से,

( रजनी कान्तल पाण्डेय )
संयुक्त सचिव।

http://shasanadesh.up.gov.in